

प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र०
रोजगार भवन, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग,
पत्रांक: /टी-3/रा०प्र०/सं०/21वीं बैठक/2025,
लखनऊ, दिनांक जून, 2025

निदेशक(प्रशिक्षण), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार, कौशल भवन, न्यू मोती बाग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के पत्र संख्या-DGT-Aff011/1/2025-O/o DIR(TC) [E-71281], दिनांक-05.06.2025, जो Minutes of 21th Meeting of "Standing Committee on Accreditation and Affiliation (SCAA)" dated 28.04.25 के द्वारा उ०प्र० राज्य के कुल 11(01 नवीन एवं 10 पूर्व से संचालित) संस्थानों की मान्यता/सीटवृद्धि की सम्बद्धता एवं आपत्ति तथा 07 संस्थानों की compliance हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं, की प्रति निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित की जा रही है कि पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

1. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, एन०एस०टी०आई० परिसर, गोविन्द नगर, उद्योग नगर, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, अलीगंज लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु०), उ०प्र०।
4. समस्त नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० द्वारा संबंधित नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by

Rajendra Prasad

Date: 20-06-2025

10:47:35
(सिजेंद्र प्रसाद)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु०)